तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु० न० 86/2019 अपील उ० मू० दु० V/S जिला रसद अधिकारी	
15-9-2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-9-R-9 CPC पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय द्वारा में अपील उनवानी अनिल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न० 36 4 नदबई बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर विचाराधीन थी। जिसमें हाल ता० पेशी दिनांक 4-6-2019 को न्यायालय द्वारा का० ता० पेशी दिनांक 17-6-19 नियत की गई, जिसे वह अभिभाषक को नोट कराकर चला गया। दिनांक 22-8-2019 को न्यायालय में जानकारी की तो पता चला कि उसकी अपील दिनांक 18-6-2019 को ही अदम पैरवी में खारिज कर दी गई है। अपीलान्ट अपनी अपील की पैरवी काफी गम्भीरता से करता आ रहा है। अगर अपील को रेस्टोर नहीं किया गया तो अपील वाले का मकसद फौत हो जायेगा, और वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लेने की प्रार्थना की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर किया गया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कई बार आवाज लगाये जाने के बाद भी उसके उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 18-6-2019 को विचाराधीन अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो उसके प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करता हो। अपील दिनांक 18-6-2019 को खारिज हुई है, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र भी 1 माह बाहर पेश किया है जो खारिज योग्य है। अतः आदेश है कि:— प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर लिये जाने अपील खारिज किया जाता है।	